80/17 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 80/2017 अनवानी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री गंगा राम जाति बिश्नोई निवासी 3 डीबीएन तहसील सूरतगढ बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22–11–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजेश कुमार उपस्थित है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से श्री बृजलाल शर्मा ए.ओ.के. उपस्थित है उनके द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर का प्रतिवेदन संख्या 8748 दिनांक 21.11.17 की प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गयी। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2017 के द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर से उनके विभाजन आदेश दिनांक 23.07.2010 से संबंधित पत्रावली में सूचना चाही गई थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे शीघ्र उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावें एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि श्री बृजलाल शर्मा ए.ओ.के. का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 2 बिन्दुओ की सूचना में से बिन्दु सं0 1 की सूचना दिनांक 23.07.10 को उपलब्ध करवा दी गई है और बिन्दू संख्या 2 की सूचना के सन्दर्भ में संबंधित विभाजन पत्रावली कार्यालय में गठित टीम द्वारा तलाश करने पर भी उपलब्ध नही हुई है। इसलिए बिन्दु सं0 2 की सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राजेश कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2017 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. विभाजन आदेश दिनांक 23.07.2010 द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर चक 3डी छोटी पटवार हल्का साधुवाली खाता सं. 6/2 मु0 न0 22, 26, 27, 44, 45, 46, 47 खाता सं. 55/39 मु0 न0 26, 27 सुरजाराम पुत्र श्री पालाराम जाति बिश्नोई द्वारा अपने पुत्रो भुपसिंह, रिछपाल पुत्रगण सुरजाराम के मध्य क्रमांक सम/10/2515 दिनांक 23.07.2010
2. उक्त विभाजन पत्रावली में पेश किया गया प्रार्थना पत्र, सहमति पत्र बटवारानामा, शपथ–पत्र, नकल जमाबंदी समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाने की कृपा करे।

अपीलार्थी के अपील पत्र तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 8748 दिनांक 02.11.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 2 बिन्दुओ की सूचना में से बिन्दूं संख्या 1 की सूचना पत्र सं0 4886 दिनांक 25.07.2017 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं बिन्दु संख्या 2 के सन्दर्भ में विभाजन पत्रावली में पेश किये गये प्रार्थना पत्र, सहमति पत्र, बंटवारानामा, शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाने के सन्दर्भ में चक 3डी छोटी की विभाजन पत्रावली कार्यालय रिकार्ड में तलाश करने पर प्राप्त नही होने पर पत्रावली तलाश करवाने के लिए एक टीम गठित की गई किन्तु टीम द्वारा पत्रावली तलाश करने के उपरान्त भी विभाजन पत्रावली प्राप्त नही हुई है। उनके कार्यालय में/पटवारी हल्का के पास उपलब्ध रिकार्ड अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दिया गया है। अतः अपील निस्तारित की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना उनके द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है जो अपीलार्थी द्वारा भी सूचना प्राप्त होना बहस के दौरान स्वीकार किया। किन्तु बिन्दु संख्या 2 की सूचना के संबंध में तहसीलदार (राजस्व) द्वारा अवगत करवाया गया है कि विभाजन आदेश से संबंधित पत्रावली उपलब्ध न होने पर उनके कार्यालय द्वारा रिकार्ड तलाश करवाने के लिए एक टीम गठित की गयी जो टीम द्वारा तलाश करने के बावजूद भी संबंधित विभाजन पत्रावली उपलब्ध नही हुई है। इसलिए पुनः एक बार रिकार्ड तलाश करवाया जाना उचित होगा। इसलिएः तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित पत्रावली आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर तलाश करवाई जावे। अगर पत्रावली उपलब्ध होती है तो अपीलार्थी को निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा उक्त रिकार्ड उपलब्ध न होने पर संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर दर्ज करवाई जावे।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2085-86
06/12/17

सा/-
(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर